- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4ए)/4(सी)/4(डी) के तहत आडिट रिपोर्ट के साथ, जहाँ लागू हो, संबंधित निर्धारण अधिकारी को नियत तारीख तक आय एवं व्यय के लेखा विवरण एवं बैलेन्स-शीट के साथ आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी होगी। The Statement of Income & Expenditure Account and Balance Sheet are furnished to the concerned Assessing Officer by the due date of furnishing of return of income under section 139(4A)/4(C)/4(D) of the I.T. Act, 1961 every year along with the audit report, wherever applicable.
- (xii) अगर विलेख एसोसिएशन ज्ञापन/निधि/संस्थान/न्यास के नीति नियमों में जब भी कोई संशोधन हो तो संबंधित निर्धारण अधिकारी को तुरंत सूचित किया जाय। Amendments if any made to the deed of statement/memorandum of Association/Rules Regulations of the Fund/Institution/Trust are intimated to the concerned Assessing Officer, immediately whenever made.

सं० सं० आ०आ०/धनबाद/तक०/80जी-9/2013-14/ दिनांक :- 04-07-2013

## प्रतिलिपि प्रेषित :-

(xi)

- 7. मुख्य आयकर आयुक्त-1, पटना
- सहायक आयकर आयुक्त, अंचल –3, देवघर
- 9. आयकर उपायुक्त, अंचल –3, देवघर



के ते विर हा (के. के. सिन्हा) आयकर अधिकारी (तकनीकी) कृते : आयकर आयुक्त, धनबाद